

कार्यालय संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक गांधी स्मारक
चिकित्सालय रीवा म.प्र.

निविदा



Handwritten signature and date: 05/02/24

2024—2025

श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा, के पीएसएम विभाग
(**Preventive & social medicine**) तथा संबद्ध शासकीय
नर्सिंग महाविद्यालय जी.एम.एच. रीवा के लिए वाहन किराये पर
लिये जाने हेतु ई-निविदा (तृतीय आमंत्रण)

Approved
NM

Head of the Deptt.
Deptt. of Community Medicine
Medical College, Rewa (M.P.)

निविदा क्रमांक- 05/2024-25

निविदा फार्म मूल्य रु. 500/-

ONLINE TENDER SCHEDULE

ई-निविदा विज्ञप्ति क्र 05 / 2024-25

SEQ NO	SCHEDULE	START DATE & TIME	EXPIRY DATE & TIME
1	PURCHASE OF TENDER ONLINE	13-02-2024 11:00 AM	27-02-2024 5:00 PM
2	BID SUBMISSION ONLINE	13-02-2024 11:00 AM	27-02-2024 5:00 PM
3	TECHNICAL PROPOSAL OPEN	29-02-2024	-
4	FINANCIAL BID OPEN	पृथक से सूचना दी जावेगी।	-

ई-मेल:- jdsupdtgmhrewa@rediffmail.com, Fax-07662-242104

संपर्क:- 07662-242104, +91-9617348113, +91-9644695933, +91-8839844861

पोर्टल में ऑनलाईन अपलोड किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची:-

1. धरोहर राशि रूपये 10000-00(दस हजार मात्र) ऑनलाईन जमा की रसीद।
2. मूल निविदा प्रपत्र हस्ताक्षर एवं सील सहित (Online purchased)
3. फर्म/संस्था के रजिस्ट्रेशन की छायाप्रति।
4. पैन कार्ड की सत्यापित छायाप्रति।
5. जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन की छायाप्रति।
6. वाहन पीयूसी (प्रदूषण) प्रमाण पत्र।
7. 100 रु. के नान-ज्यूडिशियल स्टाम्प पर निर्धारित नोटरार्इज्ड घोषणा पत्र।
8. वाहन के जीवित रजिस्ट्रेशन (पंजीयन) की छायाप्रति।
9. वाहन के फिटनेस प्रमाण पत्र की छायाप्रति आरटीओ द्वारा जारी।
10. वाहन के कम्प्रेन्सिव बीमा प्रमाण पत्र की छायाप्रति।
11. वाहन मालिकों को वाहन का भौतिक सत्यापन तकनीकी ब्रिड से पहले कराना होगा एवं उसी वाहन को टेण्डर अवार्ड होने के बाद उपलब्ध कराना होगा।

तकनीकी बिड हेतु प्रपत्र

स. क्र.	तकनीकी मापदण्ड हेतु अनिवार्य दस्तावेज	निविदाकार के द्वारा टिक किया जावे।		परीक्षण समिति द्वारा टिक किया जावे।	
		पृष्ठ क. दर्शाये	हां	नही	हां
1.	धरोहर राशि रूपये 10000-00 (दस हजार मात्र) ऑनलाईन जमा की रसीद।				
2.	मूल निविदा प्रपत्र हस्ताक्षर एवं सील सहित (Online purchased)				
3.	फर्म/संस्था के रजिस्ट्रेशन की छायाप्रति।				
4.	पैन कार्ड की सत्यापित छायाप्रति।				
5.	जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन की छायाप्रति।				
6.	वाहन पीयूसी (प्रदूषण) प्रमाण पत्र।				
7.	100 रु. के नान-ज्यूडिशियल स्टाम्प पर निर्धारित नोटराईज्ड घोषणा पत्र अधिकृत निविदाकर्ता का शपथ पत्र जिसका कोई भी केस लंबित नहीं है।				
8.	वाहन के जीवित रजिस्ट्रेशन (पंजीयन) की छायाप्रति।				
9.	वाहन के फिटनेस प्रमाण पत्र की छायाप्रति आरटीओ द्वारा जारी।				
10.	वाहन के कम्प्रेन्सिव बीमा प्रमाण पत्र की छायाप्रति।				
11.	वाहन मालिकों को वाहन का भौतिक सत्यापन तकनीकी बिड से पहले कराना होगा एवं उसी वाहन को टेण्डर अवार्ड होने के बाद उपलब्ध कराना होगा।				

निविदाकर्ता संस्था प्रमुख के हस्ताक्षर

निविदाकर्ता संस्था प्रमुख का नाम

(स्पष्ट अक्षरों)

संस्था का नाम एवं पूर्ण पता एवं सील एवं मो.

निविदा की नियम एवं शर्तें

1. श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा, के पीएसएम विभाग (Preventive & social medicine) तथा संबद्ध शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय जी.एम.एच. रीवा के लिए वाहन किराये पर लिये जाने हेतु ई-निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र वेबसाइट <https://mptenders.gov.in/> पर आनलाईन भुगतान कर क्रय किये जा सकेंगे। इसे चिकित्सा महाविद्यालय रीवा की वेबसाइट <http://www.ssmcrewa.com> में भी देखा जा सकेगा।
2. निविदाकार को प्रतिदिन प्रतिकिलोमीटर की दर पर छात्राओं को आवश्यकतानुसार 52/60 सीटर बस से लाना ले जाना होगा।
3. निविदा अवधि निविदा स्वीकृत के दिनांक से 03 वर्ष के लिये होगी। प्रथमतः 01 वर्ष हेतु कार्य आदेश जारी किया जावेगा तथा कार्य संतोषजनक पाये जाने पर निविदा अवधि आगामी एक-एक वर्ष हेतु बढ़ाई जा सकेगी।
4. कार्य संतोषजनक न पाए जाने पर अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालय रीवा द्वारा एक माह का नोटिस देकर अनुबंध समाप्त किया जा सकेगा।
5. निविदा अवधि पूर्ण होने अथवा नवीन निविदा प्रभावशील होने तक यदि अनुबंधकर्ता के द्वारा बीच में कार्य बाधित किया जाता है, तो अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालय रीवा को परफार्मेंस गारंटी की राशि राजसात कर ब्लैकलिस्ट करने का अधिकार होगा।
6. आनलाईन निविदा जमा करने की निर्धारित अवधि के पश्चात प्राप्त निविदाएँ स्वीकार नहीं की जावेगी। आनलाईन निविदा फार्म क्रय करने का मूल्य रु. 500.00 (पांच सौ मात्र) निर्धारित हैं यह राशि किसी भी दशा में वापसी योग्य नहीं है।
7. प्राइस बिड केवल ऑनलाईन ही भरी जावे तथा भारतीय मुद्रा में ही स्वीकार्य होगी।
8. कृपया प्राइस बिड भरने के पहले समस्त दस्तावेज एवं स्पेशिफिकेशन ध्यानपूर्वक पढ़ एवं समझ लें, उसके पश्चात ही निविदा भरें।
9. निविदा के साथ अमानती राशि रूपये 10000-00 (दस हजार मात्र) ऑनलाईन जमा करनी होगी। अमानत राशि पर ब्याज देय नहीं होगा।
10. जिस निविदाकार की दरें स्वीकृत होंगी उससे परफार्मेंस गारंटी के रूप में राशि रु. 10000.00(दस हजार मात्र) का डीडी के रूप में अनुबंध करने के समय जमा करनी होगी।
11. अधोहस्ताक्षरी को किसी भी एक निविदा/सभी निविदाओं को बिना कोई कारण बताये अस्वीकृत करने एवं चिकित्सालय हित में निविदा शर्तों में संशोधन करने का अधिकार होगा।
12. केवल उन्ही निविदाकारों की निविदा स्वीकार की जावेगी जो संस्था के स्वामी या पार्टनर या वैध प्रतिनिधि हो अन्यथा निविदा निरस्त की जावेगी।

13. निर्धारित परफारमेंस सिक्यूरिटी जमा नहीं कराने की स्थिति में अनुबंध नहीं किया जावेगा एवं ऑनलाईन जमा धरोहर राशि राजसात कर ली जावेगी।
14. निविदा प्रस्तुतकर्ता फर्म/वाहन मालिक को अनुबंध की शर्तों/शासकीय नियमों/कर प्रावधानों आदि हेतु समय-समय पर जारी आदेशों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा। उल्लंघन की स्थिति में बिना पूर्व सूचना के अनुबंध समाप्त करने का अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा एवं अन्य निविदाकारों की समान दर एवं शर्तों पर कार्यालय द्वारा अवसर प्रदान किया जा सकेगा।
15. विभाग को अधिकार होगा कि वह बिना कोई कारण दर्शाये 30 दिवस का लिखित नोटिस/सूचना देकर अनुबंध समाप्त कर सके।
16. निविदाकार के अनुबंध के पश्चात् उसे यह अधिकार प्राप्त नहीं होगा कि उसके द्वारा बिना उचित व पर्याप्त कारणों के या बिना पर्याप्त अवधि पूर्व सूचना दिए हीला हवाली कर बीच में अनुबंध समाप्त किया जा सके।
17. सफल निविदाकार यदि स्वीकृति दर पर विभाग की आवश्यकतानुसार एक या एक से अधिक वाहन उपलब्ध नहीं कराता है तो अन्य निविदाकार से वाहन अनुबंधित करने हेतु विभाग स्वतंत्र रहेगा। वाहन 5 वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए।
18. वाहन मय चालक एवं फास्टटैग खाते में न्यूनतम राशि 1000/- (एक हजार) के साथ प्रभारी अधिकारी/संबंधित अधिकारी के नियंत्रण सदैव (24 x 7 दिवस में) उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा।
19. देयक का भुगतान अनुबंध के अनुसार निर्धारित दरों पर वाहन के नियंत्रण अधिकारी के सत्यापन के पश्चात् किया जावेगा एवं वाहन में लॉग बुक रखना अनिवार्य होगा जिसे उपयोगकर्ता सक्षम अधिकारी से प्रमाणित कराना होगा।
20. वाहन के लिए फ्यूल/डीजल की व्यवस्था वाहन स्वामी को वहन करना होगा।
21. वाहन के साथ किसी भी प्रकार की दुर्घटना एवं क्षति के लिए विभाग जिम्मेदार नहीं रहेगा। इसके लिए निविदाकार स्वयं जिम्मेदार होगा। यदि प्रदाय किया गया वाहन संस्था के मालिक के नाम से पंजीकृत नहीं है तो संस्था एवं वाहन मालिक के मध्य सम्पादित करार नामा प्रस्तुत करना होगा।
22. निविदाकार को वाहन के साथ वाहन चालक का मूल ड्राइविंग लाइसेंस एवं वाहन से संबंधित मूल दस्तावेज तथा रजिस्ट्रेशन बुक, बीमा, पीयूसी सर्टिफिकेट इत्यादि उपलब्ध कराना होगा। इस संबंध में आर.टी.ओं. द्वारा किसी प्रकार का अर्थदण्ड अधिरोपित किया जाता है तो निविदाकार को स्वयं वहन करना होगी। निविदाकार को वाहन का नियमित मेंटेनेन्स किया जाना आवश्यक है।
23. वाहन चालक का आचरण/व्यवहार अच्छा होना चाहिए। वाहन चालक की शिकायत आने पर वाहन तत्काल बंद कर दिया जावेगा तथा निविदाकार को उसके बदले अन्य वाहन चालक देना होगा।
24. आवश्यकतानुसार 2 बसों की की आवश्यकता हो सकती है, यह उपयोगकर्ता विभागों द्वारा मांगे जाने पर तत्काल उपलब्ध कराना होगा।
25. वाहन चालक किसी भी प्रकार के नशे का सेवन करने वाला नहीं होना चाहिए।
26. अनुसूची के अनुसार सप्ताह में दो तीन बार आवश्यकता हो सकती है।

27. वाहन में पर्याप्त सुरक्षा उपकरण जैसे कैमरे, फायर एक्सटिंग्यूषर्स, फर्स्ट एड किट एवं इमरजेंसी हेल्पलाईन नंबर उपलब्ध होना चाहिए।
28. वाहन के उपयोग के दौरान दुर्घटना से होने वाली आर्थिक क्षति अथवा जनहानि के लिए किसी प्रकार की क्षति पूर्ति मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालय रीवा द्वारा नहीं की जावेगी। वाहन चोरी, अग्नि दुर्घटना, तथा आंदोलन से होने वाली क्षति के लिए भी निविदाकार ही जिम्मेदार होगा।
29. वाहन खराब होने की दशा में वैकल्पिक व्यवस्था निविदाकार को करनी होगी, नहीं किये जाने पर अन्य वाहन का उपयोग करने के लिये संस्था स्वयं स्वतंत्र होगी। जिसके व्यय की वसूली निविदाकार द्वारा प्रस्तुत देयक से की जावेगी।
30. यदि वाहन निर्धारित अनुबंध अवधि में उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो शास्ती रूपमें 10000/- प्रतिदिन के मान से अधिरोपित की जावेगी तथा वाहन उपलब्ध नहीं कराये जाने पर प्रभारी अधिकारी अन्य वाहन की व्यवस्था करने के लिए स्वतंत्र रहेंगे, जिस पर आने वाले व्यय की प्रतिमूर्ति प्रभारी अधिकारी को की जाकर उसकी वसूली निविदाकार द्वारा प्रस्तुत देयक से की जावेगी।
31. इस अनुबंध के पक्षकारों के मध्य किसी विवाद की स्थिति में अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालय रीवा का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।
32. देय समस्त शासकीय/अन्य करों का नियमानुसार भुगतान करने की जवाबदारी वाहन उपलब्ध कराने वाली एजेंसी की होगी। नियमानुसार करों का कटौत्रा स्रोत पर किया जावेगा। कर भुगतान करने संबंधि रसीद कार्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
33. किसी भी कानूनी विवाद की स्थिति में न्यायालय रीवा होगा।

संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक
गांधी स्मारक चिकित्सालय, रीवा म.प्र.

Head of the Dept.
Dept. of Community Medicine
S.S. Medical College, Rewa (M.P.)

—घोषणा—पत्र—

(100/- रुपये के नान-ज्यूडिसियल स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत किया जाये)

1. मैं/हम भारत का/के नागरिक हूँ/है।
2. मैं/हम भारतीय संविदा अधिनियम के अनुसार निविदा कार्य के लिये सक्षम हूँ/है।
3. मुझे/हमें म.प्र. शासन के किसी भी विभाग द्वारा निविदा कार्य से बहिष्कृत नहीं किया गया है।
4. मैं/हम किसी ऐसे कान्ट्रैक्टर, जो कि म.प्र. शासन के किसी विभाग द्वारा बहिष्कृत किया गया हो, न तो अभिकर्ता हूँ/है और न ही उसके लिये कार्य करता हूँ/करते है।
5. मेरे/हमारे द्वारा निविदा की शर्तों के अलावा अन्य कोई शर्तें प्रस्तुत नहीं की गयी है। यदि अन्य कोई शर्तें प्रस्तुत की गयी है, तो उसे अमान्य माना जाये।
7. श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय/संजय गांधी स्मृति चिकित्सालय/गांधी स्मारक चिकित्सालय रीवा के किसी अधिकारी/कर्मचारी से संबंध नहीं है।
8. मैं अपने कर्मचारियों को मिनिमम वेजेज एक्ट के प्रावधानों के अनुसार कलेक्टर रीवा द्वारा घोषित कुशल/अकुशल दर पर भुगतान करूंगा।
9. मेरी/हमारी संस्था के विरुद्ध न तो एफ.आई.आर. दर्ज है और न ही किसी सक्षम न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन है और न ही सक्षम न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध घोषित किया गया है।
10. मैं बालश्रम अधिनियम/श्रम कानून के प्रावधानों का पूर्णतः पालन करूंगा।
11. मेरे द्वारा प्रस्तुत जानकारी सही है। असत्य पाये जाने पर मेरे विरुद्ध विधिसम्मत कार्यवाही किए जाने पर मैं स्वयं उत्तरदायी रहूंगा।
12. मेरे उपर किसी भी थाने में केस लंबित नहीं है न ही मुझे भारत के अंदर किसी भी न्यायालय में दोषी ठहराया गया है।

दिनांक:

(निविदाकार के हस्ताक्षर)

नाम—

पूरा पता—

फोन एवं मोबा. न.—

Head of the Deptt.
Deptt. of Community Medicine
S.S. Medical College, Rewa (M.P.)

ई-निविदा
दर सूची (केवल ऑनलाईन भरी जावे)

स.क्र	विवरण	दर	जीएसटी यदि लागू हो	कुल योग
1.	52 सीटर बस का प्रति किलोमीटर किराया			
2.	60 सीटर बस का प्रति किलोमीटर किराया			

निविदाकार के हस्ताक्षर एवं पूरा पता


Head of the Deptt.
Deptt. of Community Medicine
S.S. Medical College, Rewa (M.P.) 